UPUN010020022024

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-**612/2026**

प्रताप पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम लालपुर सोहरामऊ थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव।

————————अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), उन्नाव।

————————अभियोगी।

19.03.2026:-

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त **प्रताप** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**219/2024**, अन्तर्गत धारा- **352,110** बी०एन०एस०, थाना- सोहरामऊ, जिला उन्नाव, के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ-पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा की बड़े पुत्र बुद्धीलाल का विवाह रामदुलारी के साथ हुआ था। वह प्रारम्भ से ही जमीन के लिए विवाद करती रहती थी। उसने पहली पत्नी के बच्चों को भी घर से निकाल दिया था। वह सारी जमीन को अपने नाम कराना चाहती थी। दिनांक 26.10.2024 को दोपहर करीब 12 बजे घर के दो किरायेदारों के साथ मिलकर वह उसके पुत्र से गाली-गलौज कर रही थी। उसी रात को किसी के द्वारा तेज धारदार हथियार से उसके पुत्र पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे शक है कि यह हमला उसकी पत्नी के द्वारा किरायेदारों से मिलकर कराया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि, प्रार्थी निर्दोष है। उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा उसका कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किया है। वह घटना मे नामजद नहीं है। मजरूब को चोटें नशे में सीढ़ियों से गिर जाने के कारण आयी थी। गवाह राजेश सिंह ने बताया है कि बुद्धिलाल के पिता रामसिंह ने बताया कि बुद्धिलाल रात में गिर गया है जिससे उसके नाक व सिर में चोट आयी थी। मजरूब के बयान व अन्य साक्षियों के बयानों में विरोधाभाष है। वह प्रतिष्ठित व सामाजिक व्यक्ति है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तकों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि घटना वाले दिन वादिनी मुकदमा के पुत्र बुद्धीलाल को उसकी पत्नी रामदुलारी द्वारा जमीन के लिए विवाद को लेकर दो किरायेदारों के साथ मिलकर उसके साथ गाली-गलौज करने तथा तेज धारदार हथियार से उस पर हमला कर देने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के पर्चा सं० 05 पर वादिनी मुकदमा ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का

समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा सं० 11 पर मजरूब ने अपने बयान में कथन किया है कि उसको उसकी पत्नी व उसके भाई प्रताप ने मारा था। पत्रावली पर उपलब्ध मजरूब की मेडिकल रिपोर्ट में निम्न चोटें दर्शित हैं- commentated depressed fracture of left parietal bone is seen with fracture of left temporal bone. There is fracture of occipital bone in right half with fracture of right parietal lobe. Fracture of right nasal bone is seen. Soft tissue swelling is seen in overlying soft tissues. अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले में बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त प्रताप द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-612/2026 मुकदमा अपराध संख्या-219/2024, अन्तर्गत धारा- 352,110 बी०एन०एस०, थाना- सोहरामऊ, जिला उन्नाव, निरस्त किया जाता है।

दिनांक-19.03.2026

(महेन्द्र कुमार सिंह)
कृते सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जे०ओ०कोड- यूपी1776